

संख्या- BSDM/ संविदा नियुक्ति/स्था0-163/2021पार्ट- 976

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग,
नियोजन भवन, बेली रोड, पाँचवा तल'ए' वींग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 08-05-25

विषय :- बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत विभिन्न संविदा आधारित पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत संविदा आधारित नियोजन से संबंधित विज्ञापन राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू) के सभी संस्करणों को प्रकाशित कराया जाना है।

अतएव प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विज्ञापन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

उक्त पर सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

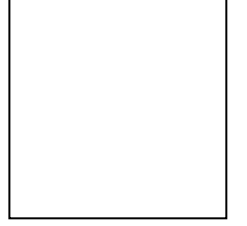
मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- संख्या- BSDM/ संविदा नियुक्ति/स्था0-163/2021पार्ट-976 पटना, दिनांक- 08-05-25

- प्रतिलिपि-1. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही विज्ञापन को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, E&Y. बिहार कौशल विकास मिशन को निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन को BSDM के वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

मिशन निदेशक
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।

विहित प्रपत्र
सेवा निवृत्त आवेदकों के लिए
(पद क्रमांक 01 से 04 के लिए)



1. आवेदित पद का नाम:—.....
2. आवेदक का नाम:—
3. पिता/पति का नाम:—
4. जन्म तिथि:—
5. पत्राचार का पता:—
6. स्थायी पता:—
7. आधार संख्या:—
8. आधार संख्या के अनुसार जन्म तिथि:—.....
9. पैन नं०:—
10. पहचान चिन्ह (जो शरीर पर दृश्य हो) :—.....
11. शैक्षणिक योग्यता:—
12. तकनीकी योग्यता:—
13. अन्य योग्यता
(अगर कोई हो):—
14. अनुभव:—
15. कौशल प्रशिक्षण
से संबंधित अनुभव:—
16. कोटि:—
17. सेवा निवृत्ति की तिथि:—
18. कार्यालय का नाम,
जहाँ से सेवा निवृत्ति हुए है:—
19. मो० नं०:—
20. ई०मेल० आई०डी०:—

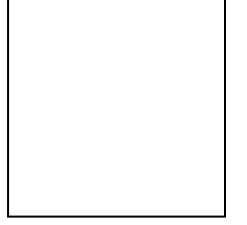
तिथि:—

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:—आवेदक द्वारा शैक्षणिक/तकनीकी/अनुभव/जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

2. सेवा निवृत्त आवेदक द्वारा पी.पी.ओ./वार्डक सेवा निवृत्ति के उपरान्त प्रभार परित्याग प्रमाण—पत्र तथा अन्तिम वेतन प्रमाण—पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

विहित प्रपत्र
सेवा निवृत्त आवेदकों के लिए
(पद क्रमांक 05 से 06 के लिए)



1. आवेदित पद का नाम:—.....
2. आवेदक का नाम:—
3. पिता/पति का नाम:—
4. जन्म तिथि:—
5. पत्राचार का पता:—

6. स्थायी पता:—
7. आधार संख्या:—
8. आधार संख्या के अनुसार जन्म तिथि:—.....
9. पैन नं०:—
10. पहचान चिन्ह (जो शरीर पर दृश्य हो) :—.....
11. शैक्षणिक योग्यता:—
12. तकनीकी योग्यता:—
13. अन्य योग्यता
(अगर कोई हो):—
14. अनुभव:—
15. कौशल प्रशिक्षण
से संबंधित अनुभव:—

16. कोटि:—
17. मो० नं०:—
18. ई०मेल० आई०डी०:—

तिथि:—

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:—आवेदक द्वारा शैक्षणिक/तकनीकी/अनुभव/जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

प्रपत्र-2
शपथ- पत्र

मैं, श्री/सुश्री/श्रीमती
पिता/पति श्री.....
स्थायी पता.....
.....
.....
वर्तमान/पत्राचार पता.....
.....
.....
मोबाईल नं०.....
ई-मेल

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

- यदि मेरा चयन.....(पद का नाम)
के संविदागत पद पर होता है तो मैं नियोजन हेतु इच्छुक हूँ एवं नियोजन हेतु सहमति देता/देती हूँ।
- उक्त पद हेतु मैं भविष्य में किसी भी तरह का नियमितिकरण का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
- मेरे द्वारा समर्पित उपरोक्त सभी वांछित सूचनाएँ यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र आदि सही एवं सत्य है और जाँच के दौरान जाली पाए जाने की स्थिति में भुगतेय राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमांड एक्ट के अधीन एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान:

दिनांक:

शपथकर्ता का पूरा हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें

नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की सूची

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता	न्यूनतम अनुभव	अधिकतम आयु सीमा	वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रशासी पदाधिकारी	01	राज्य सेवा से प्रतिनियुक्ति / संविदा 1 (राज्य सेवा के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव / अपर जिला दंडाधिकारी स्तर या इससे उपर के पदाधिकारी)	कौशल उन्नयन के क्षेत्र में कार्य अनुभव को प्राथमिकता	60 वर्ष (सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मामलों में 65 वर्ष)	पे बैंड-4 (37400. 67000)+8700 / -ग्रेड पे अथवा संविदा की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित निति के अनुरूप	बिहार सरकार से नियुक्त अथवा (राज्य सेवा से सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्तर / अपर जिला दंडाधिकारी स्तर के पदाधिकारी)	सेवानिवृत्त दाधिकारियों के मामले में वैसे पदाधिकारी जिन्हें कौशल विकास कार्यक्रम में कार्य करने का अनुभव हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेश के अनुरूप होगा पूर्व में सेवानिवृत्त पदाधिकारी का प्रावधान नहीं था।
2.	मिशन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	01	राज्य सेवा के रु0 7600 / - एवं इससे उपर ग्रेड पे के पदाधिकारी	कौशल उन्नयन के क्षेत्र में कार्य अनुभव को प्राथमिकता	65 वर्ष		संविदा पर महालेखाकार से सेवानिवृत्त / बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर जिला दंडाधिकारी एवं उससे उपर स्तर के पदाधिकारी	सेवानिवृत्त दाधिकारियों के लिए पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप
3.	मिशन प्रबंधक (कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन)	01	राज्य सेवा के रु0 7600 / - एवं इससे उपर ग्रेड पे के पदाधिकारी	कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव	65 वर्ष		संविदा राज्य	सेवानिवृत्त दाधिकारियों के लिए पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप
4.	मिशन प्रबंधक (समन्वय)	01	राज्य सेवा के रु0 7600 / - एवं इससे उपर ग्रेड पे के पदाधिकारी	संबंधित कार्य क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव कौशल उन्नयन के क्षेत्र में कार्यानुभव को प्राथमिकता	65 वर्ष		संविदा राज्य सेवा के अपर समाहर्ता एवं उपर के पदाधिकारी	सेवानिवृत्त दाधिकारियों के लिए पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप
5.	कौशल विकास परामर्शी (प्रशिक्षण एवं समर्थन)	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0बी0 / पी0जी0डी0ए म0	मानव संसाधन क्षेत्रों में तीन वर्षों का अनुभव	45 वर्ष	रु0 / 40000 / - प्रतिमाह (फिक्स) प्रति वर्ष 5% की वृद्धि	संविदा	
6.	कौशल विकास परामर्शी (योजना)	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर डिग्री	योजना संबंधित कार्य क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव	45 वर्ष	रु0 / 40000 / - प्रतिमाह (फिक्स) प्रति वर्ष 5% की वृद्धि	संविदा	

संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता एवं शर्तें:-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. उम्र सीमा पद क्रम- 05 एवं 06 के पदों के लिए उम्र सीमा पहली जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष है। पद क्रम-01 से 04 के लिए उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त नियमानुसार उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासी को दिया जायेगा।
3. आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय-समय पर निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।
4. अभ्यर्थी किसी न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं हों, जिसका शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. Short Listing की प्रक्रिया में सिर्फ उन आवेदकों के आवेदनों को सम्मिलित किया जायेगा, जो निर्धारित अर्हता को पूरा करते हैं और जिन्होंने आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न किया है।
6. अंतर्वीक्षा के उपरांत तैयार मेरिट लिस्ट क्रमांक-01 (एक) को योगदान के लिए बुलावा पत्र निर्गत किया जायेगा। उनके द्वारा पद पर योगदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को बुलावा पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्रतीक्षासूची 1 (एक) वर्ष के लिए मान्य होगी।
7. विज्ञापन में निर्धारित योग्यता न्यूनतम है, जिसके आधार पर कोई भी अभ्यर्थी चयन का दावा नहीं करेंगे।
8. चयनित अभ्यर्थी से आवश्यकतानुसार बिहार कौशल विकास मिशन/सक्षम प्राधिकार द्वारा किसी भी प्रकार कार्य संपादित कराया जा सकता है।
9. एकरारनामा- संविदा पर नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को बिहार कौशल विकास मिशन के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
10. संविदा के आधार पर नियोजित उपर्युक्त सभी कर्मियों की कार्य अवधि प्रथम चरण में एक वर्ष की होगी।
11. सेवा संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिहार कौशल विकास मिशन/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना उनका सेवा विस्तार किया जा सकता है।
12. संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिये कोई अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
13. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे।

14. संविदा पर नियोजित कर्मी स्थायीकरण/नियमित करने का दावा नहीं करेंगे और ना ही इसके पात्र होंगे।
15. संविदा पर नियोजित कर्मियों को राज्य सरकार एवं बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करना अनिवार्य होगा।
16. संविदा पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण बिहार कौशल विकास मिशन/श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना का होगा।
17. आवेदन पत्र में त्वरित संवाद हेतु आवेदक को अपना वर्तमान में कार्यरत सम्पर्क सूत्र, मोबाईल न0 एवं ई-मेल पते को अंकित करना अनिवार्य होगा।
18. समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
19. बिहार कौशल विकास मिशन को बिना किसी कारण बताये, कभी भी चयन प्रक्रिया को बदलने, संशोधित अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
20. चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी तरह की पैरवी/अनुचित दबाव दिये जाने के फलस्वरूप उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही उनके ऊपर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
21. वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-14.06.2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक होगी। आवेदन रजिस्टर्ड डाक या Speed Post से भेजना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करना होगा। आवेदन, विहित प्रपत्र में टंकित हो और उसमें नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता तथा अनुभव प्रमाण-पत्र की छाया प्रति के साथ अद्यतन फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

मिशन निदेशक

बिहार कौशल विकास मिशन,
नियोजन भवन, बेली रोड,
बिहार, पटना।

11